CNR NO UPDEO 1002009 2021

न्यायालय सत्र न्यायाधीश,देवरिया।

प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या– 833/2021,
शशि प्रकाश शाही पुत्र शिवनाथ शाही,
निवासी आटवा महादेव, थाना हथुआ, जिला गोपालगंज,(बिहार)। आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी,
अपराध संख्या– 08/2019,
धारा– 307, 120बी,भा0द0सं0,
थाना–वनकटा, जनपद देवरिया।

आदेश

जमानत का यह प्रार्थना–पत्र आवेदक/अभियुक्त शशि प्रकाश शाही ,जो अपराध संख्या– 08/2019, धारा– 307, 120बी, भारतीय दण्ड संहिता, थाना वनकटा, जनपद देवरिया के अन्तर्गत न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध हैं, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

प्रथम सूचनाकर्ता होमगार्ड राधाकृष्ण यादव द्वारा थाना वनकटा पर लिखित सूचना इस आशय की दी गई कि दिनांक 18–01–2019 को वह थाना वनकटा से रात्रि गश्त ड्यूटी हेतु अकटही बाजार जा रहा था कि रास्ते मे ताडी टोला मोड के पास पहुंचा था कि समय लगभग 10–50 बजे रात्रि दो व्यक्ति मुंह बाधे उसकी मोटर साईकिल के आगे आ गए कि एक व्यक्ति जान मारने की नियत से असलह से उसके पैर मे गोली मार दिया, जिससे वह घायल हो गया।

प्रथम सूचनाकर्ता की लिखित तहरीर के आधार पर घटना की प्राथमिकी दिनांक 19–01–2019 को समय 01–41 बजे थाना वनकटा में अपराध संख्या– 08/2019 पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा– 307 भा0द0सं0 के अपराध के अन्तर्गत अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध पंजीकृत की गयी। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त व सहअभियुक्त का नाम प्रकाश मे आया तथा बाद विवेचना आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 307, 120बी भा0द0सं0 न्यायालय मे विचारण हेतु प्रेषित किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना तथा केस डायरी का परिशीलन किया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक/ अभियुक्त सर्वथा निर्दोष एवं निरपराध हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट मे नामजद नही है असत्य कथनों के आधार पर उसे इस मामले में लिप्त किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट मे गोली मारने का कोई कारण नही दर्शाया गया है। तथाकथित घटना का कोई जनसाक्षी नही है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 07–1–2021 से जिला कारागार मे निरूद्ध है। तद्नुसार उन्होंने आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, (दाण्डिक) ने जमानत प्रा0पत्र का प्रबल विरोध एवं खण्डन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/ अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर दिनांक 18–01–2019 को प्रथम सूचनाकर्ता को जब वह थाना वनकटा से रात्रि गश्त ड्यूटी हेतु अकटही बाजार जा रहा था रास्ते मे समय

.....02.....

लगभग 10–50 बजे रात्रि मे जान मारने की नियत से असलह से उसके पैर मे गोली मार कर घायल कर दिया गया। तद्नुसार उन्होंने आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध को गम्भीर होना बताकर जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

उपरोक्त तर्को के प्रकाश में मैंने कागजात मय केस डायरी का अवलोकन किया।

आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर प्रथम सूचनाकर्ता को जब वह थाना वनकटा से रात्रि गश्त ड्यूटी हेतु अकटही बाजार जा रहा था कि रास्ते मे समय लगभग 10–50 बजे रात्रि मे उसे जान मारने की नियत से असलह से उसके पैर मे गोली मार कर उपहति कारित किये जाने का कथन है। अभियुक्त ने अपने जमानत प्रार्थना पत्र मे अभियोजन के उपरोक्त कथन से इंकार किया है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व थाना वनकटा की पुलिस द्वारा इस मुकदमे के अलावा मुकदमा अपराध सं0 134/2019 धारा 392,120बी भा0द0सं0 थाना वनकटा जिला देवरिया, मुकदमा अपराध सं0 18/2020 धारा 307, 506, 34 भा0द0सं0 थाना वनकटा, जिला देवरिया, अपराध सं0 19/2020 धारा 458,323, भा0द0सं0 थाना वनकटा, जिला देवरियव मुकदमा अपराध सं0 166/2020 धारा 313, 314 भा0द0सं0 व 25 /26 आर्म्स एक्ट थाना हुसैनगंज जिला सिवान, बिहार मे आपराधिक इतिहास प्रेषित किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त को मिथ्यारोपित किये जाने का कोई ठोस आधार इस स्तर पर विद्यमान नही है। आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने से उसके पुनः गम्भीर अपराधो मे संलिप्त होने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर गुण–दोष के आधार पर कोई टिप्पणी किये बिना मैं जमानत का आधार पर्याप्त नही पाता हूँ।

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त शशि प्रकाश शाही की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः–09–08–2021

प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
देवरिया।